विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-27/17

मेसर्स गीयर प्रोफाइल्स — आवेदक
2, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.–2,
ए.बी. रोड, देवास म.प्र.–455001

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (उ.क्षे.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन म.प्र.

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
देवास म.प्र.

आदेश

(दिनांक 22.09.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0373717 मेसर्स गीयर प्रोफाइल्स, देवास विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (उ.क्षे.) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–27/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 28.08.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के प्रतिनिधि श्री के.के. कानानी तथा अनावेदक की ओर से श्री एल.आर. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, देवास उपस्थित हुए।

04 आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके परिसर में स्थापित एमई दिनांक 12.3. 2017 को फेल हो गई। अनावेदक द्वारा बिना सुनिश्चित किये कि एमई किस कारण से फेल हुई है एमई की कीमत रूपये 181351/– आवेदक से दिनांक 16.3.2017 को जमा करवा लिये। जबकि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि जली हुई मीटर एवं मीटरी इक्यूपमेंट की पूर्ण अवमूल्यित लागत (Full depreciated cost) जमा करवाई जाए जबकि एमई के फेल होने के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार हो।

05 अनावेदक द्वारा बताया गया कि वे हाल ही में स्थानांतरण होकर आये हैं तथा प्रकरण के संबंध में अध्ययन कर संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अगली तिथि दिये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया कि वे मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के प्रावधान अनुसार निम्न जानकारी सुनवाई की अगली तिथि में प्रस्तुत करें।

अ दिनांक 17.11.2016 से एमई के फेल होने की दिनांक 12.3.2017 तक के टेम्पर डाटा उपलब्ध कराया जाए।

ब उपभोक्ता के परिसर में स्थापित की गई एमई की स्थापित करने की दिनांक से दिनांक से 12.3.2017 तक कब–कब मैंन्टेनेंस किया गया, का विवरण।

स फेल हुई एमई की कोर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जिस पर संयुक्त हस्ताक्षर हों।

द सीटीपीटी फेल होने के पश्चात अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर की इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जिसके आधार पर यह कहा गया कि आवेदक के परिसर में फाल्ट आने के कारण एमई फेल हुई है।

ई आवेदक के परिसर में सीटीपीटी फेल होने की तिथि की, 33 केवी फीडर जिस पर की उपभोक्ता संयोजित है, 132 केवी सबस्टेशन की लॉगशीट।

06 दिनांक 13.09.2017 को पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें अनावेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.8.2017 को सुनवाई का कार्यवाही विवरण उन्हें प्राप्त नहीं होने के कारण वे चाही गई जानकारी एकत्रित नहीं कर सके। अतः अगली तारीख देने का अनुरोध किया गया। अनावेदक के अनुरोध को स्वीकार कर सुनवाई की तारीख दिनांक 21.09.2017 नियत की गई।

07 दिनांक 21.09.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के प्रतिनिधि श्री के.के. कानानी एवं अनावेदक की ओर से श्री एल.आर. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, देवास उपस्थित हुए।

08 अनावेदक द्वारा दिनांक 28.08.2017 को दिये गये निर्देशानुसार चाही गई जानकारी संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 12.3.2017 के टेम्पर डाटा प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके बारे में अनावेदक द्वारा बताया गया कि इस तारीख में कोई भी टेम्पर डाटा रिकार्ड नहीं हुए हैं।

09 अनावेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.11.2016 को 11.50 बजे करंट अनबैलेंस का टेम्पर आया था जो कि दिनांक 17.11.2016 को ही 13.51 बजे रीसेट हुआ। जबकि मीटरी इक्यूपमेंट दिनांक 12.3.2017 को फेल हुई।

10 अनावेदक को आवेदक के परिसर में स्थापित एमई का समय–समय पर किये गये मेन्टेनेंस का विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उनके द्वारा 33 केवी

फीडर जिस पर कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन है, का मेन्टेनेस हेतु जारी शट डाउन का नोटिस प्रस्तुत किया गया तथा तर्क के दौरान बताया गया कि फीडर मेन्टेनेंस के दिन ही एमई का भी मेन्टेनेंस किया गया था तथा यह भी बताया गया कि एमई एक स्टेटिक डिवाइस है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और यह सील्ड यूनिट होती है। अतः इसके मेन्टेनेंस में मात्र जम्पर और बुशिंग को चेक किया जाता है, जो किया गया। परन्तु रिपोर्ट में इसका भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि फीडर मेन्टेनेंस के दिन एमई का जम्पर और बुशिंग चेक की गई थी।

11 अनावेदक द्वारा फेल हुई एमई की संयुक्त कोर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। (ओई–1) जिसमें कि एमई के टेंक में आयल नहीं पाये जाने का उल्लेख किया गया है तथा सीटीपीटी की वाइडिंग अलग–अलग कोर पर पाई गई तथा बी फेस की सीटी का इन्श्यूलेशन ऊपर का जला पाया गया तथा वाइडिंग डेमेज पाई गई।

12 अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर में एमई फेल होने के समय क्या फाल्ट आया था तथा इन्स्पेक्शन करने पर अनावेदक द्वारा क्या त्रुटि पाई गई इसका कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

13 अनावेदक से पूछने पर कि एमई कोर इन्स्पेक्शन के लिए किस स्थान पर उपलब्ध थी तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त एमई सहायक यंत्री (एचटी) मेन्टेनेंस के आफिस में उपलब्ध थी तथा वहीं पर उसका कोर इन्स्पेक्शन किया गया तथा एमई को स्टोर में वापिस करने के लिए आयल निकाल लिया गया। परन्तु एमई फेल होने की तारीख से कोर इन्स्पेक्शन की तारीख तक एमई स्टोर में वापिस नहीं किये जाने के कारण वे नहीं बता पाये।

14 अनावेदक द्वारा बताया गया कि एमई फेल होने पर उसका परीक्षण किया गया जिसमें वाई फेस की सीटी सेकण्ड्री सर्किट एवं वाई फेस प्राइमरी सेकण्ड्री सर्किट पर कोई करंट नहीं होने से मीटर टेस्टिंग डिवीजन से संबंधित अधिकारी द्वारा सीटीपीटी दोनों डिफेक्टिव घोषित कर दी गई, जिसके कारण आवेदक से मीटरी इक्यूपमेंट की कास्ट जमा करवाई गई, जिसे फोरम द्वारा भी सही माना गया। अतः आवेदक की अपील निरस्त की जाए। (ओई–2)

15 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा अपने लिखित प्रतिउत्तर में स्पष्ट उल्लेख किया है कि एमई की सीटी एवं पीटी की वाइडिंग एक ही कोर पर होने के कारण सीटी डेमेज होने से पीटी भी डेमेज हुई है। जबकि संयुक्त कोर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट में सीटीपीटी की वाइडिंग अलग–अलग कोर पर पाई गई।

16 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस में यह बताया गया कि टेम्पर डाटा रिकार्ड में हाई वोल्टेज होने एवं वोल्टेज व्यवधान संबंधी कोई प्रमाण नहीं है। जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.9.2017 में उनके द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया है कि एमई फेल होने की तारीख को कोई टेम्पर डाटा रिकार्ड ही नहीं हुआ। (ओई–3)

17 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस में एमई सील्ड यूनिट होने के कारण का उसका मेन्टेनेंस में केवल जम्पर तथा बुशिंग ही चेक की जाती है जबकि एमई के टेंक कवर को खोलकर संयुक्त कोर इन्स्पेक्शन किया गया, इसके स्पष्ट है कि एमई सील्ड यूनिट नहीं थी। (ओई–3)

18 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर में लगाई गई एमई एवं मीटर अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होती है जिसका कि वे निश्चित किराया उपभोक्ता से मासिक विद्युत देयक से लेते हैं एवं उसकी मेन्टेनेंस की जबावदारी भी अनुज्ञप्तिधारी की होती है। परन्तु हमारे परिसर में कभी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एमई का मेन्टेनेंस नहीं किया गया तथा एमई में आयल न होने के कारण सीटीपीटी बाइडिंग डेमेज हुई है।

19 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस में यह कहा गया कि आवेदक के परिसर में कोई फाल्ट आने के कारण एमई डेमेज हुई, परन्तु अनावेदक द्वारा एमई फेल होने के उपरांत एवं एमई की कास्ट जमा करने से पूर्व परिसर का इन्स्पेक्शन अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया गया जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि आवेदक के परिसर में फाल्ट आने के कारण एमई डेमेज हुई है।

20 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि कोर इन्स्पेक्शन के समय जब एमई में आयल नहीं पाया गया तब उज्जैन से आये अधिकारी द्वारा सहायक यंत्री (एचटी) देवास को प्राम्ट (promted) किया गया किएमई स्टोर में वापिस किये जाने के कारण आयल निकाल लिया गया होगा। तदनुसार अनावेदक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। जबकि वास्तव में एमई के टेंक में आयल नहीं होने के कारण ही एमई डेमेज हुई है। (आई–4)

21 आवेदक द्वारा बताया गया कि केवल क्षतिग्रस्त एमई के परीक्षण के आधार पर एमई को आवेदक के परिसर में फाल्ट आने के कारण क्षतिग्रस्त नहीं घोषित किया जा सकता। क्योंकि यदि बुशिंग से सीटी के वाइडिंग के जम्पर निकल जाए तब भी सीटी परीक्षण में ओपन सर्किट दिखायेगी। वास्तविक कारण जानने के लिए एमई का कोर इन्स्पेक्शन आवश्यक है जो कि अनावेदक द्वारा नहीं किया गया।

22 अतः उपरोक्त कारणों से एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के प्रावधान के अनुसार अनावेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा कि आवेदक के परिसर में कोई फाल्ट या अन्य कारण से एमई फेल हुई है। अतः एमई की कीमत रूपये 181351/– आवेदक को वापिस दिलाई जाए।

23 उपरोक्त उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्कों के आधार पर यह तथ्य सामने आते हैं कि –

अ दिनांक 12.3.2017 को आवेदक के परिसर में लगी एमई फेल हुई।

ब दिनांक 12.3.2017 को औद्योगिक फीडर क्रमांक 4 पर शाम 4.15 बजे फाल्ट आने पर लाईन स्टाफ को ज्ञात हुआ कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन पर स्थापित एमई की बुशिंग में जोर का धमाका हुआ एवं धुंआ निकलने लगा जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि एमई फेल हो गई तथा कर्मचारी द्वारा एमई के जम्पर खोलकर लाईन चालू कर दी गई। जिसका कि मौका पंचनामा श्री उमेश चौरसिया, सहायक यंत्री (एचटीएम) द्वारा बनाया गया।(ओई–5)

स उपरोक्त पंचनामा से यह स्पष्ट है कि श्री उमेश चौरसिया, सहायक यंत्री द्वारा आवेदक के परिसर का इन्स्पेक्शन नहीं किया गया जिससे कि इस बात की पुष्टि होती है कि आवेदक के परिसर में कोई फाल्ट आने से एमई फेल हुई है ।

द अनावेदक द्वारा बिना एमई के कोर इन्स्पेक्शन किये अपने कथम में कहा कि सीटीपीटी की वाइडिंग एक ही कोर पर थी। इसलिए सीटी फेल होने के कारण पीटी भी डेमेज हुई। जबकि कोर इन्स्पेक्शन में सीटी एवं पीटी की वाइडिंग अलग–अलग कोर पर होना पाया गया।

च अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस में यह स्पष्ट किया है कि टेम्पर डाटा रिपोर्ट में हाई वोल्टेज होने अथवा वोल्टेज के व्यवधान संबंधी कोई डाटा नहीं मिला है, जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि एमई फेल होने की तिथि में कोई टेम्पर डाटा रिकार्ड ही नहीं हुआ है।

छ अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस में यह स्पष्ट किया गया कि एमई सील्ड होने के कारण केवल बुशिंग एवं जम्पर चेक किये जाते हैं। जबकि एमई सील्ड यूनिट नहीं है क्योंकि संयुक्त कोर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट से पूर्व एमई की वाडी में जो सील्ड अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाई गई थी वह लगी पाई गई, एमई के टेंक कवर खोलकर ही संयुक्त कोर इन्स्पेक्शन किया गया। अतः इससे स्पष्ट है कि एमई सील्ड यूनिट नहीं थी।

ज अनावेदक के अधिकारी सहायक यंत्री (एचटीएम) द्वारा सीटी फेल होने पर मौका पंचनामा बनाया तथा एमई डेमेज होना पाया गया। मौका पंचनामा बनाते समय उनके द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि आवेदक के परिसर में फाल्ट आने के कारण ही एमई डेमेज हुई। जबकि उनके द्वारा परिसर का इन्स्पेक्शन कर एमई फेल होने के कारणों की समीक्षा कर पंचनामे पर इसका उल्लेख किया जाना था कि उनके द्वारा नहीं किया गया। (ओई–5)

झ आवेदक द्वारा अनुरोध करने पर कि उनसे अनावश्यक रूप से डेमेज एमई की कास्ट जमा कराई जा रही है जो कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के विपरीत है, इस आशय का पत्र अधीक्षण यंत्री को देने के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ओई–6) जबकि अधीक्षण यंत्री को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम के दृष्टिगत यह सुनिश्चित करना था कि एमई फेल होने का वास्तविक कारण क्या था, जिसके कारण एमई क्षतिग्रस्त हुई।

24 प्रकरण में कोई निर्णय लेने से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 का अवलोकन किया गया, जिसमें निम्न प्रावधान है–

Recovery of Cost of Burnt Meter/Metering equipment : *Recovery of Cost of Burnt Meter/metering equipment, when responsibility of consumer is establishedFull depreciated cost*

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी को मीटरिंग इक्यूपमेंट फेल होने के कारणों की जांच करने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि एमई फेल होने को उपभोक्ता जिम्मेदार है तो उस स्थिति में एमई की पूर्ण अवमूल्यित राशि की रिकवरी उपभोक्ता से की जानी है। जबकि इस प्रकरण में बिना जांच किये यह कहकर कि उपभोक्ता के परिसर में फाल्ट आने के कारण एमई फेल हुई, इसलिए एमई की पूरी कीमत उपभोक्ता से जमा करवा ली गई प्रावधान के विपरीत है।

25 अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि –

अ एमई फेल होने पर सहायक यंत्री द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया कि आवेदक के परिसर में क्या फाल्ट आया था, जिसके कारण एमई फेल हुई। केवल अंदाजे से कि आवेदक के परिसर में कोई फाल्ट आया होगा इसलिए एमई फेल हुई तथ्यहीन है।

ब आवेदक के अनुरोध पर यदि अनावेदक सही कारणों की जांच करना चाहता तो डेमेज एमई का कोर इन्स्पेक्शन कर सकता था जिससे कि स्पष्ट हो जाता कि डेमेज होने का क्या कारण है।

स अनावेदक द्वारा अपने लिखित उत्तर में सीटीपीटी की वाइडिंग को एक ही कोर तथा एमई के सील्ड होना बताया गया, जबकि वास्तव में एमई के टेंक के कवर को खोला जा सकता था जो इस बात का घोतक है कि अनावेदक द्वारा कभी भी एमई यूनिट का मेन्टेनेंस नहीं किया गया। अगर उनके द्वारा ऐसा किया जाता तो उन्हें अवगत हो जाता कि एमई सील्ड यूनिट नहीं है।

द कोर इन्स्पेक्शन के दौरान सीटी के टेंक में आयल नहीं पाया गया और न ही अनावेदक द्वारा एमई के समय पर किये गये मेन्टेनेंस का रिकार्ड उपलब्ध कराया जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि एमई के टेंक में आयल नहीं होने के कारण ही सीटी एवं पीटी की क्वायल क्षतिग्रस्त हुई तथा बाद में उनका यह कथन कि एमई को स्टोर में वापिस करने हेतु एमई का आयल निकाल लिया गया था तथ्यहीन प्रतीत होता है। क्योंकि एमई फेल होने की तिथि से कोर इन्स्पेक्शन की तिथि की अवधि 6 माह में भी एमई स्टोर में वापिस नहीं की गई। केवल टेंक में आयल नहीं होने के कारण सीटीपीटी डेमेज होने की उक्त

कहानी गढ़ी गई जो कि विश्वास करने योग्य नहीं है। प्रकरण में अनावेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा कि आवेदक की गलती के कारण एमई क्षतिग्रस्त हुई है।

26 अनावेदक द्वारा एमई के फेल होने के कारणों की पुष्टि किये बगैर आवेदक से एमई की पूरी कीमत जमा कराई गई जो कि आयोग द्वारा जारी विनियम के प्रावधान के विपरीत है। अतः एमई की कीमत आवेदक को वापिस की जाना न्यायसंगत है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ आवेदक से जमा कराई गई एमई की कास्ट रूपये 181351/– को आवेदक को वापिस किया जाए अथवा इस राशि का समायोजन उनके आगामी विद्युत देयकों में किया जाए।

ब फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

27 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल